e/;in'k 'kklu

e[;e=h fudkg ;kstuk&2012

¼l'kkf/kr ;kstuk 2013½

e/;in'k 'kklu

lkekftd U;k; foHkkx

web site : http://www.socialjustice.mp.gov.in , http://socialsecurity.mp.gov.in
Email Address: dpswbpl@nic.in, mdcmsssm@gmail.com
Contact No.: 0755-2556916
1250 Tulsi Nagar Bhopal M.P.

मध्यप्रदेश शासन

मुख्यमंत्री निकाह योजना—2012

(संशोधित योजना वर्ष 2013)

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय विभाग

Web site :http/ /www.socialjustice.mp.gov.in, http:/ / socialsecurity..mp.gov.in
Email Address: dpswbpl@nic.in,mdcmssm@gmail.com
Contact No.: 0755-2556916

1250 Tulsi Nagar Bhopal M.P.

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 3–13/2013/26–2, भोपाल, दिनांक 28/06/2013

प्रति.

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश.
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश.
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश.
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत,मध्यप्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
   सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगर पालिका/नगर परिषद्, मध्यप्रदेश

विषयः– मुख्यमंत्री निकाह योजना–2012 (संशोधित योजना–2013) के कियान्वयन के संबंध में।

–0–

राज्य शासन द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के अंतर्गत निराश्रित, निर्धन मुस्लिम कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निकाह योजना–2012 प्रदेश में संचालित है।

राज्य शासन द्वारा "संकल्प–37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम" के अन्तर्गत अवयवों का युक्तियुक्तकरण एवं प्रकियाओं का सरलीकरण किया जाकर **मुख्यमंत्री निकाह योजना–2012 (संशोधित योजना–2013)** की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

कृपया संशोधित योजना–2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरुप योजना का कियान्वयन सुनिश्चित् करने की कार्यवाही अविलंब की जाये।

संलग्न– मुख्यमंत्री निकाह योजना–2012 (संशोधित योजना–2013)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

28/6/13
(श्रीमती एस. खंडाते)
अवर सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय विभाग.

पृ0 क्रमांक एफ. 3–13/2013/26–2, भोपाल, दिनांक 28/06/2013

प्रतिलिपिः–

1. सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव भोपाल
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0शासन, मंत्रालय, भोपाल
4. समस्त विभागाध्यक्ष, म0प्र0, भोपाल
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय, म0प्र0, भोपाल
6. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, म0प्र0 भोपाल
7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म0प्र0 भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/6/13
अवर सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय विभाग.

अनुक्रमणिका

क0	मुख्यमंत्री निकाह योजना का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	01
2	उद्देश्य	01
3	योजना का विस्तार	01
4	पात्रता की शर्तें	01–02
5	आयु संबंधी	02
6	अन्य मापदण्ड	02–03
7	सहायता राशि	03
8	कार्यक्रम आयोजन हेतु अधिकृत संस्था	03
9	हितग्राही के चयन एवं पंजीयन की प्रक्रिया	03
10	निकाह हेतु हितग्राही के चयन की प्रक्रिया	04
11	आवेदन प्रस्तुत करने एवं सत्यापन करने की समयसीमा	04
12	स्वयंसेवी संस्थाओं का पंजीयन एवं भूमिका	04–05
13	अपील	05
14	कम्प्युटराईजेशन आनलाईन एप्लीकेशन	05–06
15	अभिलेखों का संधारण	06
16	आडिट	06
17	बजट आवंटन	06–07
18	कार्यक्रम के आयोजन एवं व्यय	07
19	दरों के निर्धारण हेतु समिति	07
20	निकाह उपरांत पंजीयन	08
21	प्रचार–प्रसार	08
22	विधिक	08
23	अन्य बिन्दु	08–09
24	परिशिष्ट	10–23

मुख्यमंत्री निकाह योजना

1. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन मुस्लिम कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री निकाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई। उक्त योजना में पात्रता/शर्तो के मापदण्ड वहीं है जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के है ।

2. उद्देश्य

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की निकाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

3. योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री निकाह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से प्रभावशील है। मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2013 सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में आदेश दिनांक से प्रभावशील होगी।

4. मुख्यमंत्री निकाह योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्ते

4.1 कन्या/कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।

4.2 कन्या/कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों/या जरुरतमंद हों।

4.3 कन्या स्वयं निराश्रित हो अथवा गरीब हो और स्वयं के विवाह हेतु आर्थिक रूप से सक्षम न हो।

4.4 ऐसी विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो अथवा निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रुप से सक्षम न हो।

4.5 ऐसी परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो और निराश्रित हो जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो, जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।

4.6 निम्नांकित श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राही अथवा उनकी कन्या भी पात्र होंगे :–

4.6.1 मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना ।

4.6.2 मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009 ।

4.6.3 मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना 2009 ।

4.6.4 मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना 2012

4.6.5 भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत।

4.6.6 मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008

नोट :– विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को एक बार पुनर्निकाह होने पर योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता आयेगी।

पात्रता की पुष्टि हेतु निम्नांकित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाये :–

(01) समग्र कोड

(02) श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत पंजीयन का कार्ड

(03) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही हेतु बी.पी.एल.का कार्ड (केवल कन्या आवेदक के लिए)

(04) अभिकथन/शपथ–पत्र

(05) विधवा/परित्यक्ता आवेदक होने की स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज :–

(5.1) विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

(5.2) परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश

5. आयु

कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम आयु का बंधन नहीं रखा गया है।

आयु की पुष्टि हेतु दोनों पक्षों (कन्या और वर) द्वारा निम्नांकित दस्तावेज में से कोई एक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे :–

- स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.)। अथवा
- अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। अथवा
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, जन्म प्रमाण पत्र। अथवा
- मतदाता सूची/मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अंकित हो। अथवा
- शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र। अथवा
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जाब कार्ड

6. अन्य मापदण्ड

6.1 हितग्राही कन्या को आर्थिक सहायता केवल सामूहिक निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

6.2 सामूहिक निकाह कार्यक्रम में न्यूनतम 5 जोड़ों का होना अनिवार्य रहेगा।

6.3 सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लड़के को संयुक्त रुप से पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सम्बन्धित निकाय को 15 दिन पूर्व करना होगा/आवेदन पत्र निःशुल्क जिला पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक/एफ 3–4/2013/26–2 भोपाल दिनांक 1/1/2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषयः– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि में वृद्धि के संबंध में ।

संदर्भः– म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 3–4/12/26–2/2012 दिनांक 13.04.2012

–0–

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना के अंतर्गत निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित, विधवा, परित्यक्तता (विधवा एवं परित्यक्तता को एक बार पुनः विवाह हेतु) के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह करने वाली कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता राशि रू0 13,000/– एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन करने वाले निकायों को रू0 2,000/– कुल रू0 15,000/– के मान से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर निम्नानुसार किया जाता है :–

विवरण	राशि (प्रति कन्या के मान से)
1. कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु सामग्री के लिये	– रू0 16,000/– (रू0 सोलह हजार मात्र)
2. कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिये 5 वर्ष तक के लिये सावधि जमा।	– रू0 6,000/– (रू0 छः हजार मात्र)
3. सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा– नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु	– रू0 3,000/– (रू0 तीन हजार मात्र)
कुल योग	– रू0 25,000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र)

यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2014 से प्रभावशील होगा।

01/01/14

(व्ही.के.बाथम)
सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

St./Dic/Gov.Let/doc

निकाय में उपलब्ध होगे। आवेदन पत्र विभाग की बेवसाइट पर भी उपलब्ध है । आवेदन का प्रारुप परिशिष्ट–(1) एवं परिशिष्ट– (1.1) पर संलग्न हैं।

6.4 मुख्यमंत्री निकाह योजना मध्यप्रदेश की कन्या के लिये हैं। यदि वर पक्ष प्रदेश के बाहर का भी है तो उस कन्या को लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा लेकिन जब कन्या प्रदेश के बाहर की है तो योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा।

7. सहायता राशि

7.1. कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु रुपये 13,000/–

7.2. सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत निकायों को रु0 2000/– (प्रति कन्या के मान से)

नोट :– यदि कन्या निःशक्त श्रेणी की है, या उसने अंतर्जातीय विवाह किया है या बाछड़ा बेड़िया समाज की कन्या ने सजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत विवाह किया है तो उसको सम्बन्धित योजना के अंतर्गत पृथक से निकाह प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

8. कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत संस्था

मुख्यमंत्री निकाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नांकित संस्थाऐं अधिकृत रहेगी :–

8.1 नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद)

8.2 जनपद पंचायत

8.3 जिला पंचायत

8.4 ऐसी शासकीय संस्थाऐं जिन्हें जिले के कलेक्टर द्वारा सामूहिक निकाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया गया हो।

9. निकाह हेतु हितग्राहियों का चयन एवं पंजीयन की प्रक्रिया

9.1 वर–वधु को पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में संयुक्त आवेदन पत्र संबंधित निकाय जहां के वे निवासी हैं अथवा जिस निकाय के अन्तर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं को विवाह कार्यक्रम के आयोजन तिथि से 15 दिन पूर्व करना होगा।

9.2 आवेदन पत्र के साथ कन्या की पात्रता सम्बन्धी दस्तावेज तथा कन्या एवं लड़के का आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न करना होगा।

9.3 आवेदन पत्र के अलावा निकाह पंजीयन हेतु कन्या व वर को दो–दो प्रति फोटो पृथक से देना होगी।

9.4 निकाह हेतु हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया

योजना की व्यापकता को देखते हुये तथा नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सामूहिक निकाह कार्यक्रम को देखते हुये पात्र आवेदक का चयन जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिये दीनदयाल अन्त्योदय मिशन की कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा जनपद पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर आयोजित होने वाले निकाह कार्यक्रम के लिये चयन समिति जनपद/नगरीय निकाय स्तर के लिये गठित दीनदयाल अन्त्योदय मिशन की समिति द्वारा किया जायेगा। यदि समिति प्रभावशील नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी हितग्राहियों की पात्रता के लिये चयन समिति गठित कर सकेंगे, जो कि पात्रता के मापदण्ड को ध्यान में रखते हुये हितग्राहियों का चयन करेगी। चयन समिति के समक्ष प्रत्येक आवेदक हितग्राही के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजें का परीक्षण एवं सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा निकाह कार्यक्रम आयोजन होने के पूर्व सत्यापन पर सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

9.5 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं सत्यापन की समय सीमा

- आवेदन पत्र निकाह कार्यक्रम आयोजित होने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ताकि सम्बन्धित निकायों को हितग्राहियों के आवेदन पत्र के सत्यापन तथा उनके लिये सामग्री की व्यवस्था करने और आवंटन प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय मिल सके।
- अपरिहार्य कारणों से यदि ऐसे हितग्राही जो सामूहिक निकाह कार्यक्रम के 1–2 दिन पहले ही आवेदन प्रस्तुत करते है तो उनको सामूहिक निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय संबंधित निकाय स्वयं लेगी ।

ऐसी कन्याओं को योजनांतर्गत लाभ निकाह कार्यक्रम के पश्चात् उसी शर्त पर देय होगा जब कि योजना अंतर्गत पात्रता रखती हों इसके लिये सत्यापन अधिकारी से सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सत्यापन प्रतिवेदन परिशिष्ट– (2)

10. स्वयं सेवी संस्थाओं का पंजीयन एवं भूमिका

10.1 ऐसी स्वयंवेसी संस्थाऐं जो मुख्यमंत्री निकाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन पैरा–8 में उल्लेखित निकायों के साथ सम्मिलित होना चाहती है उनका पंजीयन, यदि पूर्व में वैवाहिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन निर्विवादित एवं उत्कृष्ट छबि के साथ करती आ रही है, कलेक्टर की अनुशंसा पर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय द्वारा पंजीयन किया जायेगा । इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । पंजीकृत संस्था को जब तक उनको अपंजीकृत नहीं कर दिया जाता तब तक वे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेगी। पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–(3) पर संलग्न है।

10.2 जिन स्वयं सेवी संस्थाओं का पंजीयन किया जाएगा उनके लिए यह अनिवार्य होगा कि वे

10.2.1 म0प्र0 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत हों।

या

भारत सरकार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत।

या

कंपनी अधिनियम 1958 की धारा 25 के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त पूर्ण कंपनी हो ।

10.2.2 संस्था ब्लेक लिस्टेड न हो।

10.2.3 संस्था की छबि जिले में अच्छी हो और किसी तरह की शिकायत तथा अपराधिक प्रकरण उसके विरूद्ध पंजीकृत न हो।

10.2.4 संस्था के विरूद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितता की जांच लंबित न हो।

10.2.5 संबंधित निकाय की सहमति भी लेना आवश्यक होगा ।

ऐसी पंजीकृत संस्थाएं सामूहिक निकाह कार्यक्रम संबंधित निकायों के माध्यम से आयोजित कर सकेंगी लेकिन ऐसी संस्थाओं को शासन द्वारा सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए राशि प्रदान नहीं की जावेगी। योजनान्तर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम के लिए आवंटन केवल निकायों को ही किया जायेगा।

11. अपील

जनपद पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर यदि किसी हितग्राही का आवेदन पत्र मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत निरस्त किया गया है तो उसकी सुनवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जायेगी। नगरीय निकाय के मामले में आयुक्त नगर निगम के स्तर से निरस्त प्रकरण की अपील जिला कलेक्टर तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद के अधिकारी के द्वारा निरस्त किये गये प्रकरण की अपील परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा की जायेगी । ऐसे अपील के प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जायेगा । संस्थाओं के पंजीयन के प्रकरण में जिला स्तर पर निरस्त आवेदन पत्रों की सुनवाई संभागीय आयुक्त के द्वारा की जायेगी। संभागीय आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

12. कम्प्यूटराईजेशन ऑन लाईन एप्लिकेशन

12.1 भविष्य में राज्य शासन द्वारा यदि ऑन लाईन एप्लीकेशन के लिये प्रोग्राम तैयार कर लागू किये जाने पर निकाह हेतु आवेदन करने वाली कन्याओं एवं निकाह कार्यक्रम के लिये पंजीयन करने वाली संस्थाएं आन लाईन आवेदन भी विभाग की बेवसाइट पर कर सकेगी:–

http://www.socialjustice.mp.gov.in/ ,http://www.sssm.nic.in/ , http://socialsecurity.mp.gov.in/

12.2 आन लाईन आवेदन पत्र में आवेदकों को वे सभी औपचारिकताएं पूरी करना होंगी जो ऑफ लाईन के लिये निर्धारित हैं।

12.3 आन लाईन से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये सभी निकायों के लिये एक समान कार्यक्रम और बेवसाईट का नाम पृथक से दिया जायेगा। इस पर प्राप्त आवेदन पत्र को देखते हुये निकायों को आवेदनों का सत्यापन करना होगा और सत्यापन उपरांत उनका निकाह हेतु पंजीयन करना होगा ताकि वे शासन की निकाह योजना के लाभ से वंचित नहीं होवें।

13. अभिलेखों का संधारण

हितग्राहियों की जानकारी निकाय द्वारा कम्प्युटर की वेवसाईट पर अपलोड की जाने के अतिरिक्त जिन जिन निकाय द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किये गये उसका तिथिवार पूर्ण विवरण, व्यय की गई राशि, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए नागरिकों आदि अभिलेख के साथ में एवं छायाचित्र 5 वर्ष तक अनिवार्य रुप से रखना होंगे। जिन कन्याओं का निकाह सम्पन्न हुआ है उनकी जानकारी बेवसाईट पर स्थाई रूप से उसके पूर्ण जीवनकाल तक रखी जायेगी।

संपादित निकाहों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त, सामाजिक न्याय को प्रेषित की जावेगी ।

14. आडिट

मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि और उनके द्वारा किये गये व्यय आदि का लेखा परीक्षण (आडिट) महालेखाकार प्रतिवर्ष कराना होगा। वर्ष के अंत में जो राशि अनुपयुक्त रहेगी उसे तत्काल जिले को वापस करना होगी ताकि उसका उपयोग अन्य निकाय में किया जा सके। सम्बन्धित निकाय द्वारा कराये गये आडिट की प्रति जिले के उप संचालक/संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

15. बजट आवंटन

हितग्राही (लड़की/लड़के) के आवेदन पत्र जिनकी जांच पूर्ण हो गई है और वे निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित कर दिये गये है के मान से रुपये 15,000/– जिसमें रुपये 13,000/– कन्या की गृहस्थी की सामग्री हेतु एवं रुपये 2,000/– कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय हेतु स्वीकृत किये जाकर संबंधित निकायों को उपलब्ध कराये जाऐंगे जो कि मांग संख्या 34, 41, 64 शीर्ष 2235 के अंतर्गत विकलनीय होगा। मांग संख्या का विवरण इस प्रकार है :–

सामान्य मद

मांग संख्या–34–शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–02–समाज कल्याण–800–अन्य व्यय–6692–मुख्यमंत्री निकाह योजना–44– सहायक अनुदान–0101–राज्य योजना सामान्य–ट–001– अन्य मद

गैर बजटीय आवंटन

भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल, मण्डी बोर्ड की योजनाओं में पंजीकृत श्रमिक वर्ग के हितग्राहियों की कन्याओं के निकाह की जानकारी प्रत्येक त्रैमास में संचालक, मिशन को दी जायेगी जो कि संबंधित बोर्ड/मण्डल से राशि क्लेम करेंगे तथा मुख्यमंत्री निकाह योजना से व्यय की गई राशि का समायोजन करेंगे ।

16. कार्यक्रम के आयोजन एवं व्यय

16.1 कार्यक्रम के आयोजन हेतु संबंधित निकाय द्वारा एक निकाह कार्यक्रम समिति गठित की जाएगी । समिति द्वारा ही निकाह कार्यक्रम के लिए स्थल चयन, टेंट, की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, निकाह, अतिथियों के लिये सत्कार आदि की व्यवस्था करेगी। इन पर व्यय निर्धारित राशि के भीतर ही करना होगा।

16.2 समिति निकाह कार्यक्रम के लिए तिथि निर्धारित करेगी और उसके आने वाले क्षेत्र में तिथि एवं कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करेगी

16.3 कन्या की गृहस्थी की स्थापना के लिये सामग्री का विवरण **परिशिष्ट– (4)** पर दिया गया है। इसमें उल्लेखित सामग्री में से रुपये 13,000/– तक कीमत की सामग्री म0प्र0 क्रय नियमों के तहत क्रय कर कन्या को सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

17. दरों के निर्धारण हेतु समिति

म0प्र0 क्रय नियम के अंतर्गत आरक्षित सूची से हटकर अन्य सामग्री क्रय की जाने तथा कार्यक्रम के आयोजन पर किये जाने वाले व्यय जो अनिवार्य रूप से किया जाना है, के लिये कलेक्टर प्रतिवर्ष अपने जिले के लिये दरें निर्धारित कर सकेंगे। दरों का निर्धारण भण्डार क्रय नियमों में दी गई प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। इस हेतु एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जाये :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	अध्यक्ष
परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
जिला कोषालय अधिकारी	सदस्य
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
महिला बाल विकास अधिकारी	सदस्य
संयुक्त संचालक/उपसंचालक सामाजिक न्याय	सदस्य/सचिव

उक्त गठित समिति में महिला अधिकारी न होने पर कलेक्टर जिले की 2 महिला अधिकारियों का नाम विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामांकित कर सकेंगे जो कन्या के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री के चयन के विकल्प और गुणवत्ता पर सुझाव दे सकें।

18. निकाह उपरान्त पंजीयन

मुख्यमंत्री निकाह योजना के अन्तर्गत जिन कन्याओं का निकाह सम्पन्न हुआ है उनके निकाह कार्यक्रम सम्पन्न होने के तुरन्त पश्चात निर्धारित प्रारूप में **परिशिष्ट–(5)** प्रमाण पत्र वर–वधु को कार्यक्रम आयोजन करने वाली सम्बन्धित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रमाण पत्र कन्या के निकाह को प्रमाणित करने में सहायक होगा।

19. प्रचार–प्रसार

योजना का प्रचार–प्रसार जिला प्रशासन द्वारा एवं जिन निकायों में निकाह कार्यक्रम आयोजित किये जाने है के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु ग्राम पंचायतों के मकानों की दीवार पर लेखन, पम्पलेट और बैनर, भी लगाये जा सकेंगे। बेनर का प्रारुप **परिशिष्ट–(6)** अनुसार होगा, जो कि निकाह कार्यक्रम के दिन कार्यक्रम स्थल पर अनिवार्य रूप से लगाना होगा।

20. विधिक

मुख्यमंत्री निकाह योजना के चलते किसी तरह का विवाद/शिकायत प्राप्त होती हैं तो उसका निराकरण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों को मान्य होगा।

21. अन्य बिन्दु

- ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा नगरीय निकाय हेतु आयुक्त/मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारी मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए **नोडल अधिकारी** होंगे।
- आवेदन पत्र पूर्णता की स्थिति में ही स्वीकार किये जावे। अपूर्ण आवेदन को पूर्ण कराया जाये आवेदक द्वारा पूर्ण न करने पर विचार नहीं किया जाये। स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदनों को सूचना पटल पर प्रकाशित कराया जाये।
- वर एवं वधु के परिवार से किसी प्रकार का कोई पंजीयन शुल्क अथवा दान नहीं लिया जावे। **निकाह निःशुल्क होगा।** यदि कोई कन्या को कोई उपहार देना चाहते हो उसकी सूची तैयार की जाएगी जिसमें उपहार देने वाले का नाम, उपहार का नाम, उपहार की मात्रा/संख्या अनुमानित मूल्य आदि को सूचीबद्ध कर सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा तथा ऐसी उपहार सामग्री की सूची समिति अपने अभिलेख में पृथक से रखेगी।
- वर एवं वधु की निर्धारित आयु पूर्ण नहीं होने की स्थिति में बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 की धारा 6 के अन्तर्गत वर–वधु के दोषी माता/पिता/अभिभावक/प्रायोजक संस्था प्रमुख तथा धारा 5 के तहत बाल विवाह (अनुष्ठान) सम्पन्न कराने वाले व्यक्ति के लिये **नियमानुसार कानूनन दण्ड एवं जुर्माने का प्रावधान है।**

- निकाह समारोह में सम्मानीय जन प्रतिनिधियों/गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाये, उनको सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाये और यथासंभव उन्हीं के हाथों से कन्याओं को उनकी गृहस्थी हेतु दी जाने वाली सामग्री का वितरण कराया जावे।
- कन्या को प्रदाय की गई गृहस्थी की सामग्री की विधिवत प्राप्ति/ अभिस्वीकृति/रसीद अवश्य प्राप्त की जावे। पावती रसीद का प्रारूप परिशिष्ट–(7) पर संलग्न है।
- मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत सम्मिलित होकर सामूहिक निकाह का लाभ लेने वाले वर–वधु के परिवारों के घर में शौचालय निर्मित होकर निरंतर उपयोगरत हों। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव एवं ग्रामसभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति के अध्यक्ष से निर्धारित प्रारुप में दोनों पक्षों से यह प्रमाणित करवायेगा कि उनके घर में शौचालय निर्मित है एवं निरंतर उपयोगरत है। यह प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रस्तुत किया जावेगा। न होने की स्थिति में वर पक्ष के घर में तीन माह के भीतर शौचालय निर्मित कराने का अभिकथन प्राप्त किया जाये और सरपंच/सचिव का दायित्व होगा कि उस घर में शौचालय का निर्माण दी गई समयावधि में हो अन्यथा वर पक्ष को प्राप्त सामग्री वापिस लेने की दशा में जिले के कलेक्टर द्वारा ही कार्यवाही की जा सकेगी। तदोपरांत ही दोनों पक्ष मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ ले सकेंगे।
- मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत सम्मिलित होकर सामूहिक निकाह का लाभ लेने वाले वर–वधु यदि अलग–अलग जिले के है तथा यदि ग्रामीण क्षेत्र के है तो संबंधित जनपद पंचायत से उनके संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार यदि शहरी क्षेत्र के है तो उनके संबंध में संबंधित नगरीय निकाय से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक है ।

सामाजिक न्याय विभाग

मुख्यमंत्री निकाह योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र

(ग्रामीण क्षेत्र के लिये)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जनपद पंचायत .....जिला .....(म0प्र0)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत ..... जिला .....(म0प्र0)

विषय :– मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन एवं निकाह सहायता राशि स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।

–0–

भाग–अ

समग्र कार्ड क्रमांक :.....

1. आवेदिका का नाम .....
2. आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम .....
3. आवेदका की माता का नाम .....
4. निवास का पता .....
5. आवेदिका की जन्म तिथि .. दिनांक ☐ माह ☐ वर्ष ☐
6. आवेदिका के निकाह के समय आयु .....
7. जाति/वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य) .....
8. आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय .....

   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)
9. परिवार का बी.पी.एल. कार्ड क्रमांक एवं दिनांक .....
10. श्रमिक संवर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन :–
    (1) योजना का नाम .....
    (2) पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक .....

आवेदिका
पासपोर्ट
साईज फोटा

11. बचत खाता :

बैंक का नाम : ..... खाता क्रमांक .....

आईएफसी कोड .....

भाग–ब

वर का पासपोर्ट साईज फोटा

11. वर का नाम .....

12. वर के पिता/अभिभावक का नाम .....

13. वर की माता का नाम .....

14. निवास का पता .....

5. वर की जन्म तिथि .. दिनांक ☐ माह ☐ वर्ष ☐

16. निकाह के समय आयु .....

17. व्यवसाय एवं वार्षिक आय .....

भाग–स

विधवा/परित्यक्त आवेदिका के सम्बन्ध में जानकारी –

(1) पूर्व पति का नाम .....

(2) पूर्व पति से निकाह होने का दिनांक .....

(3) पूर्व पति की मृत्यु/निकाह विच्छेद होने का दिनांक .....

(4) पूर्व पति के पिता/अभिभावक का नाम एवं पता .....

अभिकथन

मैं सत्य निष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत पूर्व में किसी तरह की विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह निकाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ।

स्थान .....

दिनांक ..... आवेदिका के हस्ताक्षर .....

एवं पूरा नाम

अभिकथन

मैं सत्य निष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदण्ड में आता हो तथा मेरी कन्या के निकाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु निकाह योग्य है।

स्थान .....

दिनांक ..... कन्या के पिता/अभिभावक के .....

हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

नोट :–

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाये :–

1. आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
2. गरीबी रेखा/निराश्रित/जरूरतमंद/बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति.
3. श्रमिक संवर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति.
4. कन्या एवं वर की एक–एक पासपोर्ट साइज फोटो.
5. विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
6. परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति.

सामाजिक न्याय विभाग
मुख्यमंत्री निकाह योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र
(नगरीय क्षेत्र के लिये)

प्रति,
आयुक्त,

नगर निगम ....., जिला – .....

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

नगर पालिका.....जिला .....

विषय :– मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन एवं विवाह सहायता राशि स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।

–0–

भाग–अ

आवेदिका
पासपोर्ट
साईज फोटो

1. आवेदिका का नाम .....
2. आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम .....
3. आवेदका की माता का नाम .....
4. निवास का पता .....
5. आवेदिका की जन्म तिथि दिनांक ☐ माह ☐ वर्ष ☐
6. आवेदिका के निकाह के समय आयु .....
7. जाति/वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य) .....
8. आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय .....
   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)
9. परिवार का बी.पी.एल. कार्ड क्रमांक एवं दिनांक .....
10. श्रमिक संवर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन :–

(1) योजना का नाम .....
(2) पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक .....

भाग–ब

वर का
पासपोर्ट साईज
फोटो

11. वर का नाम .....

12. वर के पिता/अभिभावक का नाम .....

13. वर की माता का नाम .....

14. निवास का पता · .....

15. वर की जन्मतिथि

5. वर की जन्म तिथि दिनांक ☐ माह ☐ वर्ष ☐

16. निकाह के समय आयु .....

17. व्यवसाय एवं वार्षिक आय .....

भाग–स

विधवा/परित्यक्त आवेदिका के सम्बन्ध में जानकारी –

(1) पूर्व पति का नाम .....

(2) पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक .....

(3) पूर्व पति की मृत्यु/विवाह विच्छेद होने का दिनांक .....

(4) पूर्व पति के पिता/अभिभावक का नाम एवं पता .....

अभिकथन

मैं सत्य निष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पूर्व में किसी तरह की निकाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह निकाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ।

स्थान .....

दिनांक .....

आवेदिका के हस्ताक्षर .....

एवं पूरा नाम

अभिकथन

मैं सत्य निष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदण्ड में आता हूँ तथा मेरी कन्या के निकाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु निकाह योग्य है।

स्थान .....

दिनांक ..... कन्या के पिता/अभिभावक के .....

हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

नोट :–

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाये :–

1. आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
2. गरीबी रेखा/निराश्रित/जरूरतमंद/ बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति.
3. श्रमिक संवर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति.
4. कन्या एवं वर की एक–एक पासपोर्ट साइज फोटो.
5. विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
6. परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति.

मुख्यमंत्री निकाह योजनांतर्गत जांच प्रतिवेदन.

जांचकर्ता अधिकारी का नाम .....

पद .....

जांच का दिनांक .....

1. आवेदिका का नाम : .....

2. निवास का पूर्ण पता : .....

.....

3. आवेदिका के पिता का नाम .....

माता का नाम .....

माता/पिता के न होने पर अभिभावक का नाम .....

4. निवास का पूर्ण पता : .....

.....

5. जन्मतिथि/आयु :–

कन्या– दिनांक माह वर्ष निकाह दिनांक के दिन आयु .....

वर– दिनांक माह वर्ष निकाह दिनांक के दिन आयु .....

6. आवेदक परिवार के आय के स्त्रोत और .....

वार्षिक आय .....

7. परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में आता है, तो कार्ड क्रमांक व दिनांक .....

8. श्रमिक संवर्ग योजना के अंतर्गत पंजीयन .....

9. आवेदिका विधवा/परित्यक्तता श्रेणी की है तो उसका विवरण .....

.....

जांच अधिकारी की टीप :–

(अ) जांच अधिकारी का निकाह के संबंध में जिसमें कन्या/वर की निर्धारित आयु पूर्ण कर ली है अथवा नहीं/कन्या बी.पी.एल. कार्डधारी है या पंजीकृत श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत आती है, को देखते हुये स्पष्ट अनुशंसा अंकित की जावे .....

.....

(ब) जांच उपरांत कन्या अपात्र पाये जाने का मुख्य कारण अंकित करें .....

.....

दिनांक .....

जांच अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत स्वयंसेवी संस्था के पंजीयन हेतु

आवेदन पत्र का प्रारुप

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक,

सामाजिक न्याय,

जिला – .....

विषय :– मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्था के पंजीयन हेतु आवेदन ।

–0–

वर्ष .....

1	संस्था का नाम एवं पूर्ण पता	–	————————
2	संस्था किस क्षेत्र में कार्यरत है	–	————————
3	संस्था की स्थापना का दिनांक	–	————————
4	संस्था का पंजीयन कमांक व दिनांक	–	————————
5	संस्था के पदाधिकारी सदस्यों का नाम / पता	–	अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव आदि 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....
6	संस्था की वर्तमान गतिविधियॉ	–	————————
7	संस्था की विगत तीन वर्षो का वित्तीय आय– व्यय पत्रक / आडिट / सी.ए.रिपोर्ट.	–	————————

अभिकथन

मैं सत्य निष्ठा से कथन करता हूँ कि सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निकाह योजना के आयोजन के लिये पंजीयन हेतु मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सही है तथा मैं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निर्धारित नियम व आदेषों को पालन करने का वचन देता हूँ।

स्थान .....

दिनांक .....

पदाधिकारी के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम
संस्था की मोहर

परिशिष्ट– (4)

मुख्यमंत्री निकाह योजना में कन्या को दी जाने वाली सामग्री की प्रस्तावित मार्गदर्शी सूची

क्र	सामग्री का नाम
1	एल.पी.जी. गैस कनेक्शन/कलर टी.व्ही. पोर्टेबल/स्टील की अल्मारी (साढ़े पॉच फिट)/सोफा सेट
2	लोहे का निवार वाला पलंग अथवा लकड़ी का पलंग, रजाई गद्दे तकिया सहित दो चादर
3	आभूषण पायल/बिछिया/कांटा/मंगलसूत्र
4	सिलाई मशीन अथवा साईकिल, पंखा
5	स्टील के कम से कम 11 बर्तन, प्रेशर कुकर
6	कन्या (वधु) के वस्त्र साड़ी नग 2, ब्लाउस 2, पेटीकोट 2 नग, चुड़िया, श्रंगार की सामग्री

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक : .....

मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत सम्पन्न निकाह का

प्रमाण–पत्र

वधु फोटो	वर फोटो

सौभाग्यवती ..... पुत्री श्री.....

निवासी ..... का
निकाह श्री..... पुत्र श्री ..... निवासी
.....के साथ मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत स्थान
..... में आयोजित सामूहिक निकाह कार्यक्रम में दिनांक .....
.....को सम्पन्न हुआ।

नव–दम्पत्ति के सुखमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ।

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर

निकाय का नाम/सील

"गृहस्थी बसाये और बेटी बचाये
आगे आये और लाभ उठाये"

प्रचार प्रसार हेतु बेनर का प्रारूप

मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत
कन्या को प्रदाय गृहस्थी की सामग्री पावती रसीद

निकाह तिथि :———————————————

कन्या का नाम :———————————————

पिता का नाम :———————————————

निवास का पता :———————————————

मेरे द्वारा सामूहिक निकाह कार्यक्रम में नीचे उल्लेखित निकाह सामग्री प्राप्त की गई–

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

सामग्री प्राप्तकर्ता का नाम

हस्ताक्षर

साक्षी (गवाह)

1. ———————

2. ———————

हस्ताक्षर एवं पदमुदा

नोडल अधिकारी

शाकेमुभो—354—संसंसान्यासं—8-8-13—4,000+1,000.

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 3–13/2013/26–2, भोपाल, दिनांक 28/06/2013

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश.
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश.
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश.
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
   सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगर पालिका/नगर परिषद्, मध्यप्रदेश

विषयः– मुख्यमंत्री निकाह योजना–2012 (संशोधित योजना–2013) के क्रियान्वयन के संबंध में।

–0–

राज्य शासन द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के अंतर्गत निराश्रित, निर्धन मुस्लिम कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निकाह योजना–2012 प्रदेश में संचालित है।

राज्य शासन द्वारा **"संकल्प–37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम"** के अन्तर्गत अवयवों का युक्तियुक्तकरण एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाकर **मुख्यमंत्री निकाह योजना–2012 (संशोधित योजना–2013)** की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

कृपया संशोधित योजना–2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरुप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित् करने की कार्यवाही अविलंब की जाये।

संलग्न– मुख्यमंत्री निकाह योजना–2012 (संशोधित योजना–2013)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

28/6/13
(श्रीमती एस. खंडाते)
अवर सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय विभाग.

पृ0 क्रमांक एफ. 3–13/2013/26–2, भोपाल, दिनांक 28/06/2013

प्रतिलिपिः–

1. सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव भोपाल
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0शासन, मंत्रालय, भोपाल
4. समस्त विभागाध्यक्ष, म0प्र0, भोपाल
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय, म0प्र0, भोपाल
6. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, म0प्र0 भोपाल
7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म0प्र0 भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/6/13
अवर सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय विभाग.

अनुक्रमणिका

क0	मुख्यमंत्री निकाह योजना का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	01
2	उद्देश्य	01
3	योजना का विस्तार	01
4	पात्रता की शर्ते	01–02
5	आयु संबंधी	02
6	अन्य मापदण्ड	02–03
7	सहायता राशि	03
8	कार्यक्रम आयोजन हेतु अधिकृत संस्था	03
9	हितग्राही के चयन एवं पंजीयन की प्रक्रिया	03
10	निकाह हेतु हितग्राही के चयन की प्रक्रिया	04
11	आवेदन प्रस्तुत करने एवं सत्यापन करने की समयसीमा	04
12	स्वयंसेवी संस्थाओं का पंजीयन एवं भूमिका	04–05
13	अपील	05
14	कम्प्युटराईजेशन आनलाईन एप्लीकेशन	05–06
15	अभिलेखों का संधारण	06
16	आडिट	06
17	बजट आवंटन	06–07
18	कार्यक्रम के आयोजन एवं व्यय	07
19	दरों के निर्धारण हेतु समिति	07
20	निकाह उपरांत पंजीयन	08
21	प्रचार–प्रसार	08
22	विधिक	08
23	अन्य बिन्दु	08–09
24	परिशिष्ट	10–23

मुख्यमंत्री निकाह योजना

1. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन मुस्लिम कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री निकाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई। उक्त योजना में पात्रता/शर्तो के मापदण्ड वहीं है जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के है ।

2. उद्देश्य

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की निकाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

3. योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री निकाह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से प्रभावशील है। मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2013 सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में आदेश दिनांक से प्रभावशील होगी।

4. मुख्यमंत्री निकाह योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्ते

4.1 कन्या/कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।

4.2 कन्या/कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों/या जरुरतमंद हों।

4.3 कन्या स्वयं निराश्रित हो अथवा गरीब हो और स्वयं के विवाह हेतु आर्थिक रूप से सक्षम न हो।

4.4 ऐसी विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो अथवा निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रुप से सक्षम न हो।

4.5 ऐसी परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो और निराश्रित हो जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो, जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।

4.6 निम्नांकित श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राही अथवा उनकी कन्या भी पात्र होंगे :–

4.6.1 मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना ।

4.6.2 मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009 ।

4.6.3 मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना 2009 ।

4.6.4 मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना 2012

4.6.5 भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत।

4.6.6 मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008

नोट :– विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को एक बार पुनर्निकाह होने पर योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता आयेगी।

पात्रता की पुष्टि हेतु निम्नांकित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाये :–

(01) समग्र कोड

(02) श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत पंजीयन का कार्ड

(03) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही हेतु बी.पी.एल.का कार्ड (केवल कन्या आवेदक के लिए)

(04) अभिकथन/शपथ–पत्र

(05) विधवा/परित्यक्ता आवेदक होने की स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज :–

(5.1) विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

(5.2) परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश

5. आयु

कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम आयु का बंधन नहीं रखा गया है।

आयु की पुष्टि हेतु दोनों पक्षों (कन्या और वर) द्वारा निम्नांकित दस्तावेज में से कोई एक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे :–

- स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.)। अथवा
- अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। अथवा
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, जन्म प्रमाण पत्र। अथवा
- मतदाता सूची/मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अंकित हो। अथवा
- शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र। अथवा
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जाब कार्ड

6. अन्य मापदण्ड

6.1 हितग्राही कन्या को आर्थिक सहायता केवल सामूहिक निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

6.2 सामूहिक निकाह कार्यक्रम में न्यूनतम 5 जोड़ों का होना अनिवार्य रहेगा।

6.3 सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लड़के को संयुक्त रुप से पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सम्बन्धित निकाय को 15 दिन पूर्व करना होगा/आवेदन पत्र निःशुल्क जिला पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय

निकाय में उपलब्ध होगे। आवेदन पत्र विभाग की बेवसाइट पर भी उपलब्ध है । आवेदन का प्रारुप **परिशिष्ट–(1) एवं परिशिष्ट– (1.1)** पर संलग्न हैं।

6.4 मुख्यमंत्री निकाह योजना मध्यप्रदेश की कन्या के लिये हैं। यदि वर पक्ष प्रदेश के बाहर का भी है तो उस कन्या को लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा लेकिन जब कन्या प्रदेश के बाहर की है तो योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा।

7. सहायता राशि

7.1. कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु रुपये 13,000/–

7.2. सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत निकायों को रु0 2000/– (प्रति कन्या के मान से)

नोट :– यदि कन्या निःशक्त श्रेणी की है, या उसने अंतर्जातीय विवाह किया है या बाछड़ा बेड़िया समाज की कन्या ने सजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत विवाह किया है तो उसको सम्बन्धित योजना के अंतर्गत पृथक से निकाह प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

8. कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत संस्था

मुख्यमंत्री निकाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नांकित संस्थाऐं अधिकृत रहेगी :–

8.1 नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्)

8.2 जनपद पंचायत

8.3 जिला पंचायत

8.4 ऐसी शासकीय संस्थाऐं जिन्हें जिले के कलेक्टर द्वारा सामूहिक निकाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया गया हो।

9. निकाह हेतु हितग्राहियों का चयन एवं पंजीयन की प्रक्रिया

9.1 वर–वधु को पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में संयुक्त आवेदन पत्र संबंधित निकाय जहां के वे निवासी हैं अथवा जिस निकाय के अन्तर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं को विवाह कार्यक्रम के आयोजन तिथि से 15 दिन पूर्व करना होगा।

9.2 आवेदन पत्र के साथ कन्या की पात्रता सम्बन्धी दस्तावेज तथा कन्या एवं लड़के का आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न करना होगा।

9.3 आवेदन पत्र के अलावा निकाह पंजीयन हेतु कन्या व वर को दो–दो प्रति फोटो पृथक से देना होगी।

9.4 निकाह हेतु हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया

योजना की व्यापकता को देखते हुये तथा नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सामूहिक निकाह कार्यक्रम को देखते हुये पात्र आवेदक का चयन जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिये दीनदयाल अन्त्योदय मिशन की कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा जनपद पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर आयोजित होने वाले निकाह कार्यक्रम के लिये चयन समिति जनपद/नगरीय निकाय स्तर के लिये गठित दीनदयाल अन्त्योदय मिशन की समिति द्वारा किया जायेगा। यदि समिति प्रभावशील नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी हितग्राहियों की पात्रता के लिये चयन समिति गठित कर सकेंगे, जो कि पात्रता के मापदण्ड को ध्यान में रखते हुये हितग्राहियों का चयन करेगी। चयन समिति के समक्ष प्रत्येक आवेदक हितग्राही के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजें का परीक्षण एवं सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा निकाह कार्यक्रम आयोजन होने के पूर्व सत्यापन पर सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

9.5 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं सत्यापन की समय सीमा

- आवेदन पत्र निकाह कार्यक्रम आयोजित होने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ताकि सम्बन्धित निकायों को हितग्राहियों के आवेदन पत्र के सत्यापन तथा उनके लिये सामग्री की व्यवस्था करने और आवंटन प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय मिल सके।
- अपरिहार्य कारणों से यदि ऐसे हितग्राही जो सामूहिक निकाह कार्यक्रम के 1–2 दिन पहले ही आवेदन प्रस्तुत करते है तो उनको सामूहिक निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय संबंधित निकाय स्वयं लेगी ।

  ऐसी कन्याओं को योजनांतर्गत लाभ निकाह कार्यक्रम के पश्चात् उसी शर्त पर देय होगा जब कि योजना अंतर्गत पात्रता रखती हों इसके लिये सत्यापन अधिकारी से सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सत्यापन प्रतिवेदन **परिशिष्ट– (2)**

10. स्वयं सेवी संस्थाओं का पंजीयन एवं भूमिका

10.1 ऐसी स्वयंवेसी संस्थाऐं जो मुख्यमंत्री निकाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन पैरा–8 में उल्लेखित निकायों के साथ सम्मिलित होना चाहती है उनका पंजीयन, यदि पूर्व में वैवाहिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन निर्विवादित एवं उत्कृष्ट छबि के साथ करती आ रही है, कलेक्टर की अनुशंसा पर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय द्वारा पंजीयन किया जायेगा । इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । पंजीकृत संस्था को जब तक उनको अपंजीकृत नहीं कर दिया जाता तब तक वे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेगी। पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–(3)** पर संलग्न है।

10.2 जिन स्वयं सेवी संस्थाओं का पंजीयन किया जाएगा उनके लिए यह अनिवार्य होगा कि वे

10.2.1 म0प्र0 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत हों।

या

भारत सरकार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत।

या

कंपनी अधिनियम 1958 की धारा 25 के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त पूर्ण कंपनी हो ।

10.2.2 संस्था ब्लेक लिस्टेड न हो।

10.2.3 संस्था की छबि जिले में अच्छी हो और किसी तरह की शिकायत तथा अपराधिक प्रकरण उसके विरूद्ध पंजीकृत न हो।

10.2.4 संस्था के विरूद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितता की जांच लंबित न हो।

10.2.5 संबंधित निकाय की सहमति भी लेना आवश्यक होगा ।

ऐसी पंजीकृत संस्थाएं सामूहिक निकाह कार्यक्रम संबंधित निकायों के माध्यम से आयोजित कर सकेंगी लेकिन ऐसी संस्थाओं को शासन द्वारा सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए राशि प्रदान नहीं की जावेगी। योजनान्तर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम के लिए आवंटन केवल निकायों को ही किया जायेगा।

11. अपील

जनपद पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर यदि किसी हितग्राही का आवेदन पत्र मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत निरस्त किया गया है तो उसकी सुनवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जायेगी। नगरीय निकाय के मामले में आयुक्त नगर निगम के स्तर से निरस्त प्रकरण की अपील जिला कलेक्टर तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद के अधिकारी के द्वारा निरस्त किये गये प्रकरण की अपील परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा की जायेगी । ऐसे अपील के प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जायेगा । संस्थाओं के पंजीयन के प्रकरण में जिला स्तर पर निरस्त आवेदन पत्रों की सुनवाई संभागीय आयुक्त के द्वारा की जायेगी। संभागीय आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

12. कम्प्यूटराईजेशन ऑन लाईन एप्लिकेशन

12.1 भविष्य में राज्य शासन द्वारा यदि ऑन लाईन एप्लीकेशन के लिये प्रोग्राम तैयार कर लागू किये जाने पर निकाह हेतु आवेदन करने वाली कन्याओं एवं निकाह कार्यक्रम के लिये पंजीयन करने वाली संस्थाएं आन लाईन आवेदन भी विभाग की बेवसाइट पर कर सकेगीः—

http://www.socialjustice.mp.gov.in/ ,http://www.sssm.nic.in/ , http://socialsecurity.mp.gov.in/

12.2 आन लाईन आवेदन पत्र में आवेदकों को वे सभी औपचारिकताएं पूरी करना होंगी जो ऑफ लाईन के लिये निर्धारित हैं।

12.3 आन लाईन से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये सभी निकायों के लिये एक समान कार्यक्रम और बेवसाईट का नाम पृथक से दिया जायेगा। इस पर प्राप्त आवेदन पत्र को देखते हुये निकायों को आवेदनों का सत्यापन करना होगा और सत्यापन उपरांत उनका निकाह हेतु पंजीयन करना होगा ताकि वे शासन की निकाह योजना के लाभ से वंचित नहीं होवें।

13. अभिलेखों का संधारण

हितग्राहियों की जानकारी निकाय द्वारा कम्प्युटर की वेवसाईट पर अपलोड की जाने के अतिरिक्त जिन जिन निकाय द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किये गये उसका तिथिवार पूर्ण विवरण, व्यय की गई राशि, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए नागरिकों आदि अभिलेख के साथ में एवं छायाचित्र 5 वर्ष तक अनिवार्य रुप से रखना होंगे। जिन कन्याओं का निकाह सम्पन्न हुआ है उनकी जानकारी बेवसाईट पर स्थाई रूप से उसके पूर्ण जीवनकाल तक रखी जायेगी।

संपादित निकाहों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त, सामाजिक न्याय को प्रेषित की जावेगी ।

14. आडिट

मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि और उनके द्वारा किये गये व्यय आदि का लेखा परीक्षण (आडिट) महालेखाकार प्रतिवर्ष कराना होगा। वर्ष के अंत में जो राशि अनुपयुक्त रहेगी उसे तत्काल जिले को वापस करना होगी ताकि उसका उपयोग अन्य निकाय में किया जा सके। सम्बन्धित निकाय द्वारा कराये गये आडिट की प्रति जिले के उप संचालक/संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

15. बजट आवंटन

हितग्राही (लड़की/लड़के) के आवेदन पत्र जिनकी जांच पूर्ण हो गई है और वे निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित कर दिये गये है के मान से रुपये 15,000/– जिसमें रुपये 13,000/– कन्या की गृहस्थी की सामग्री हेतु एवं रुपये 2,000/– कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय हेतु स्वीकृत किये जाकर संबंधित निकायों को उपलब्ध कराये जाऐंगे जो कि मांग संख्या 34, 41, 64 शीर्ष 2235 के अंतर्गत विकलनीय होगा। मांग संख्या का विवरण इस प्रकार है :–

सामान्य मद

मांग संख्या–34–शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–02–समाज कल्याण–800–अन्य व्यय–6692–मुख्यमंत्री निकाह योजना–44– सहायक अनुदान–0101–राज्य योजना सामान्य–ट–001– अन्य मद

गैर बजटीय आवंटन

भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल, मण्डी बोर्ड की योजनाओं में पंजीकृत श्रमिक वर्ग के हितग्राहियों की कन्याओं के निकाह की जानकारी प्रत्येक त्रैमास में संचालक, मिशन को दी जायेगी जो कि संबंधित बोर्ड/मण्डल से राशि क्लेम करेंगे तथा मुख्यमंत्री निकाह योजना से व्यय की गई राशि का समायोजन करेंगे ।

16. कार्यक्रम के आयोजन एवं व्यय

16.1 कार्यक्रम के आयोजन हेतु संबंधित निकाय द्वारा एक निकाह कार्यक्रम समिति गठित की जाएगी । समिति द्वारा ही निकाह कार्यक्रम के लिए स्थल चयन, टेंट, की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, निकाह, अतिथियों के लिये सत्कार आदि की व्यवस्था करेगी। इन पर व्यय निर्धारित राशि के भीतर ही करना होगा।

16.2 समिति निकाह कार्यक्रम के लिए तिथि निर्धारित करेगी और उसके आने वाले क्षेत्र में तिथि एवं कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करेगी

16.3 कन्या की गृहस्थी की स्थापना के लिये सामग्री का विवरण **परिशिष्ट– (4)** पर दिया गया है। इसमें उल्लेखित सामग्री में से रुपये 13,000/– तक कीमत की सामग्री म0प्र0 क्रय नियमों के तहत क्रय कर कन्या को सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

17. दरों के निर्धारण हेतु समिति

म0प्र0 क्रय नियम के अंतर्गत आरक्षित सूची से हटकर अन्य सामग्री क्रय की जाने तथा कार्यक्रम के आयोजन पर किये जाने वाले व्यय जो अनिवार्य रूप से किया जाना है, के लिये कलेक्टर प्रतिवर्ष अपने जिले के लिये दरें निर्धारित कर सकेंगे। दरों का निर्धारण भण्डार क्रय नियमों में दी गई प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। इस हेतु एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जाये :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	अध्यक्ष
परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
जिला कोषालय अधिकारी	सदस्य
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
महिला बाल विकास अधिकारी	सदस्य
संयुक्त संचालक/उपसंचालक सामाजिक न्याय	सदस्य/सचिव

उक्त गठित समिति में महिला अधिकारी न होने पर कलेक्टर जिले की 2 महिला अधिकारियों का नाम विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामांकित कर सकेंगे जो कन्या के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री के चयन के विकल्प और गुणवत्ता पर सुझाव दे सकें।

18. निकाह उपरान्त पंजीयन

मुख्यमंत्री निकाह योजना के अन्तर्गत जिन कन्याओं का निकाह सम्पन्न हुआ है उनके निकाह कार्यक्रम सम्पन्न होने के तुरन्त पश्चात निर्धारित प्रारूप में **परिशिष्ट–(5)** प्रमाण पत्र वर–वधु को कार्यक्रम आयोजन करने वाली सम्बन्धित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रमाण पत्र कन्या के निकाह को प्रमाणित करने में सहायक होगा।

19. प्रचार–प्रसार

योजना का प्रचार–प्रसार जिला प्रशासन द्वारा एवं जिन निकायों में निकाह कार्यक्रम आयोजित किये जाने है के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु ग्राम पंचायतों के मकानों की दीवार पर लेखन, पम्पलेट और बैनर, भी लगाये जा सकेंगे। बेनर का प्रारुप **परिशिष्ट–(6)** अनुसार होगा, जो कि निकाह कार्यक्रम के दिन कार्यक्रम स्थल पर अनिवार्य रूप से लगाना होगा।

20. विधिक

मुख्यमंत्री निकाह योजना के चलते किसी तरह का विवाद/शिकायत प्राप्त होती हैं तो उसका निराकरण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों को मान्य होगा।

21. अन्य बिन्दु

- ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा नगरीय निकाय हेतु आयुक्त/मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारी मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए **नोडल अधिकारी** होंगे।
- आवेदन पत्र पूर्णता की स्थिति में ही स्वीकार किये जावे। अपूर्ण आवेदन को पूर्ण कराया जाये आवेदक द्वारा पूर्ण न करने पर विचार नहीं किया जाये। स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदनों को सूचना पटल पर प्रकाशित कराया जाये।
- वर एवं वधु के परिवार से किसी प्रकार का कोई पंजीयन शुल्क अथवा दान नहीं लिया जावे। **निकाह निःशुल्क होगा।** यदि कोई कन्या को कोई उपहार देना चाहते हो उसकी सूची तैयार की जाएगी जिसमें उपहार देने वाले का नाम, उपहार का नाम, उपहार की मात्रा/संख्या अनुमानित मूल्य आदि को सूचीबद्ध कर सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा तथा ऐसी उपहार सामग्री की सूची समिति अपने अभिलेख में पृथक से रखेगी।
- वर एवं वधु की निर्धारित आयु पूर्ण नहीं होने की स्थिति में बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 की धारा 6 के अन्तर्गत वर–वधु के दोषी माता/पिता/अभिभावक/प्रायोजक संस्था प्रमुख तथा धारा 5 के तहत बाल विवाह (अनुष्ठान) सम्पन्न कराने वाले व्यक्ति के लिये **नियमानुसार कानूनन दण्ड एवं जुर्माने का प्रावधान है।**

- निकाह समारोह में सम्मानीय जन प्रतिनिधियों/गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाये, उनको सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाये और यथासंभव उन्हीं के हाथों से कन्याओं को उनकी गृहस्थी हेतु दी जाने वाली सामग्री का वितरण कराया जावे।
- कन्या को प्रदाय की गई गृहस्थी की सामग्री की विधिवत प्राप्ति/ अभिस्वीकृति/रसीद अवश्य प्राप्त की जावे। पावती रसीद का प्रारूप **परिशिष्ट–(7)** पर संलग्न है।
- मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत सम्मिलित होकर सामूहिक निकाह का लाभ लेने वाले वर–वधु के परिवारों के घर में शौचालय निर्मित होकर निरंतर उपयोगरत हों। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव एवं ग्रामसभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति के अध्यक्ष से निर्धारित प्रारुप में दोनों पक्षों से यह प्रमाणित करवायेगा कि उनके घर में शौचालय निर्मित है एवं निरंतर उपयोगरत है। यह प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रस्तुत किया जावेगा। न होने की स्थिति में वर पक्ष के घर में तीन माह के भीतर शौचालय निर्मित कराने का अभिकथन प्राप्त किया जाये और सरपंच/सचिव का दायित्व होगा कि उस घर में शौचालय का निर्माण दी गई समयावधि में हो अन्यथा वर पक्ष को प्राप्त सामग्री वापिस लेने की दशा में जिले के कलेक्टर द्वारा ही कार्यवाही की जा सकेगी। तदोपरांत ही दोनों पक्ष मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ ले सकेंगे।
- मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत सम्मिलित होकर सामूहिक निकाह का लाभ लेने वाले वर–वधु यदि अलग–अलग जिले के है तथा यदि ग्रामीण क्षेत्र के है तो संबंधित जनपद पंचायत से उनके संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार यदि शहरी क्षेत्र के है तो उनके संबंध में संबंधित नगरीय निकाय से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक है ।

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 3–4/12/26–2 भोपाल दिनांक 1/1/2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषयः– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि में वृद्धि के संबंध में ।

संदर्भः– म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 3–4/12/26–2/2012 दिनांक 13.04.2012

–0–

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना के अंतर्गत निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित, विधवा, परित्यक्तता (विधवा एवं परित्यक्तता को एक बार पुनः विवाह हेतु) के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह करने वाली कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता राशि रू0 13,000/– एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन करने वाले निकायों को रू0 2,000/– कुल रू0 15,000/– के मान से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर निम्नानुसार किया जाता है :–

विवरण	राशि (प्रति कन्या के मान से)
1. कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु सामग्री के लिये	रू0 16,000/– (रू0 सोलह हजार मात्र)
2. कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिये 5 वर्ष तक के लिये सावधि जमा।	रू0 6,000/– (रू0 छः हजार मात्र)
3. सामूहिक दिवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा– नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु	रू0 3,000/– (रू0 तीन हजार मात्र)
कुल योग	रू0 25,000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र)

यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2014 से प्रभावशील होगा।

(व्ही.के.बाथम)
सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

St./DistGov.Let/doc

पृष्ठां0क्रमांक एफ 3-स0/2012/2013/26-2 भोपाल दिनांक 1/1/2014

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म0प्र0 शासन, भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क म0प्र0 भोपाल ।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, भोपाल निर्देशानुसार सावधि जमा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी करें।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश। जिन कन्याओं का विवाह सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में सम्पन्न होना है उनका समग्र पोर्टल पर नाम अंकित होना अनिवार्य है। समग्र पोर्टल पर सत्यापन उपरांत सक्षम समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर ही पात्र कन्याओं के लिये सामग्री क्रय की जाये एवं सावधि जमा पत्र तैयार कराये जाये। सावधि जमा बचत पत्र भी विवाह कार्यक्रम में ही कन्या को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। सावधि जमा पांच वर्ष के लिये होगी इसके परिपक्व होने पर निर्गम की पात्रता होगी। यदि आवेदिका चाहे तो सावधि जमा की अवधि बढ़ा सकती है। इसके विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।
8. समस्त संयुक्त सचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

(व्ही.के.बाथम)
सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

St./Dic/Gov.Let/doc

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 3-4/2012/26-2/ 1209. भोपाल दिनांक 31-05-2014
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश

विषयः- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि युक्तियुक्तकरण के संबंध में ।

संदर्भः- म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 3-4/2012/26-2/2012 दिनांक 01-01-2014

-0-

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना के अंतर्गत निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित, विधवा, परित्यक्तता (विधवा एवं परित्यक्तता को एक बार पुनः विवाह हेतु) के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह करने वाली कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु रूपये 25,000/- की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कन्या को उपलब्ध कराई जा रही सहायता के विभिन्न मदों को युक्तियुक्तरण करते हुये कन्या की खुशहाली और उसको दी जा रही सहायता राशि के सदुपयोग की दृष्टि से दी जा रही सहायता का पुनर्निर्धारण किया जाता है :-

1. कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के 5 वर्ष तक के लिये सावधि जमा रूपये 6,000/- के स्थान पर रूपये 10,000/-।
2. विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री { मंगलसूत्र, बिछिया,पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन} रूपये 5,000/-। (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा)
3. कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु अन्य सामग्री क्रय करने के लिये रू0 7,000/- (यह राशि कन्या के स्वयं के बचत खाते में विवाह के एक दिन बाद अनिवार्य रूप से हस्तांतरित की जाये)।
4. सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिये निकाय यथा- नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 3000/-।

यह आदेश दिनांक 01 जुलाई 2014 से प्रभावशील होगा।

31/5/14
(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण विभाग

पृष्ठां0 क्रमांक/एफ 3–4/2012/26–2/ 1210 भोपाल दिनांक 31.5.14

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म0प्र0 शासन, भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क म0प्र0 भोपाल ।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, भोपाल निर्देशानुसार सावधि जमा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी करें।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
सचिव,
म0प्र0शासन,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण विभाग